कार्यालय, मुख्य चुनाव अधिकारी
राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2017
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण परिसर
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक डी.एस.डब्ल्यू./चुनाव/2017/4232 दिनांकः 19/08/2017

चुनाव अधिसूचना

1. राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ संविधान–2017 की धारा 25 (a)(b)(c) द्वारा प्रदत्त सक्षमता एवं धारा 32 के अंतर्गत सृजित **"राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव : नियम एवं दिशा–निर्देश–2017"** में वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ तथा संघटक महाविद्यालयों के स्तर पर वर्णित छात्रसंघों के शैक्षणिक सत्र 2017–18 की अवधि के चुनाव निम्न कार्यक्रमानुसार 28 अगस्त, 2017 को आयोजित होंगेः

क्रमांक	विवरण	तिथि	समय
1.	प्रत्येक इकाई द्वारा दिनांक 17/08/2017 तक प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची का मतदाता सूची के रूप में औपचारिक प्रकाशन	21/08/2017 सोमवार	प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
2.	मतदाता सूचियों पर आपत्ति प्राप्त करना	22/08/2017 मंगलवार	प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक
3.	प्रत्येक इकाई स्तर पर मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन तथा समस्त सूचियों की हस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना	22/08/2017 मंगलवार	अपरान्ह 1.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
4.	उम्मीदवारी हेतु नामांकन–पत्र दाखिल करना	23/08/2017 बुधवार	प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	समस्त उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की छाया प्रतियों को खुले अवलोकन हेतु सूचना पट्ट/वेब साईट पर प्रदर्शित करना	23/08/2017 बुधवार	अपरान्ह 3:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक
6.	किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र की किसी भी प्रविष्टि पर जाँच एवं आपत्ति/शिकायत, संबंधित छात्रसंघ के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त करना	23/08/2017 बुधवार	सांय 5.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक
7.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटिनी) पश्चात् उम्मीदवारों की सूचियों का संबंधित छात्रसंघ के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रकाशन	24/08/2017 गुरूवार	पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक

8.	संबंधित छात्र संघ के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेना	24/08/2017 गुरुवार	अपरान्ह 1.00 बजे से सांय 4:00 तक
9.	नाम वापसी के पश्चात् उम्मीदवारों की अन्तिम नामांकन सूची का प्रकाशन	24/08/2017 गुरुवार	सांय 4.00 बजे
10.	मतदान प्रक्रिया : प्रत्येक मतदाता के संबंधित विभाग/इकाई/ महाविद्यालय में निर्दिष्ट मतदान केन्द्र पर	28/08/2017 सोमवार	प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक
11.	मतगणना एवं चुनाव परिणामों की घोषणा एवं विजयी उम्मीदवारों को पद की शपथ दिलवाना मतगणना स्थान : (i) राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं शोध छात्र प्रतिनिधि चुनाव हेतु- मानविकी पीठ सभागार (ii) संघटक महाविद्यालय छात्रसंघ-संबंधित इकाई परिसर में (iii) कक्षा प्रतिनिधि सम्बन्धित ईकाई परिसर में	28/08/2017 सोमवार	अपरान्ह 2.00 बजे से कार्य समाप्ति तक

2. नामांकन की समस्त प्रक्रिया, प्रस्तावित उम्मीदवार के संबंधित विभाग/महाविद्यालय/ शैक्षणिक इकाई जिसमें सत्र 2017-18 में वह नियमित विद्यार्थी है, में सम्पन्न होगी। इन शैक्षणिक इकाइयों में नामांकन-पत्र, नाम वापसी-पत्र, छात्र संघ का संविधान, संविधान के अंतर्गत सृजित ''नियम एवं दिशा निर्देश'' आदि निर्धारित शुल्क प्राप्ति पर अधिसूचना के साथ ही भेजी जा रही है।

3. नाम वापसी की प्रक्रिया, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पदाधिकारियों हेतु छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय तथा ''संघटक महाविद्यालय छात्रसंघ'' पदाधिकारियों एवं कक्षा प्रतिनिधि हेतु संबंधित शैक्षणिक इकाई में दिनांक 24/08/2017 को अपरान्ह 1.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक आयोजित होगी।

4. मतदान की प्रक्रिया, स्नातकोत्तर विभागों/शैक्षणिक इकाइयों एंव संघटक महाविद्यालयों में एक साथ आयोजित होगी। **दिनांक 17/08/2017 तक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी ही अपने प्रवेश की शैक्षणिक** इकाई या **मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित चुनाव केन्द्र पर मतदान कर सकेंगे।**

5. राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ के विभिन्न पदों हेतु प्राप्त समस्त नामांकन पत्रों की छाया-प्रति, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय के सूचना-पट्ट तथा राजस्थान

विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.uniraj.ac.in) पर प्रदर्शित की जायेगी। संघटक महाविद्यालय छात्रसंघों एवं कक्षा प्रतिनिधि के नामांकन पत्रों की छाया–प्रति संबंधित शैक्षणिक इकाई में प्रदर्शित होगी। नामांकन–पत्रों की प्रविष्टियों से संबंधित आपत्ति/शिकायत संबंधित छात्र संघ के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कार्यक्रमानुसार स्वीकार की जायेगी।

6. **छात्रसंघ संविधान में उल्लेखित आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) के उल्लंघन अथवा भविष्य में नामांकन–पत्र में किसी भी असत्य कथन अथवा वांछित तथ्य छुपाये जाने अथवा गलत पाये जाने पर किसी भी उम्मीदवार को चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।**

(प्रो. विजय वीर सिंह)
मुख्य चुनाव अधिकारी

क्रमांक डी.एस.डब्ल्यू./चुनाव/2017/ 4233-98 दिनांक 19/08/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है –

1. प्राचार्य, समस्त संघटक महाविद्यालय/विभागाध्यक्ष/निदेशक, शैक्षणिक विभाग/संस्थान/ केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
2. मुख्यकुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. मुख्य आवासाधिकारी (छात्र), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. मुख्य आवासाधिकारी (छात्रा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. वित्त नियंत्रक एवं वित्त सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त उपकुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. विश्वविद्यालय अभियन्ता, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. अन्य समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
13. निजी सचिव–कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

मुख्य चुनाव अधिकारी